(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्रीमती बादलीदेवी
निवासी पुरोहित वास वार्ड नं. 06
सिरोही रोड पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 58 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.11.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट का पट्टा जिस खसरा संख्या 812/412 में स्थित है, उसके अडौस–पडौस में पक्के मकान भी बिलानाम राजस्व भूमि में बने हुए है, उन सभी की नाम सहित सूची दिलवाई जावे तथा खसरा संख्या 812/412 बिलानाम राजस्व भूमि में अजारी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में एवं वर्तमान में किन–किन लोगों को पट्टा जारी किया हुआ है, उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट का पट्टा जिस खसरा संख्या 812/412 में स्थित है, उसके अडौस–पडौस में पक्के मकान भी बिलानाम राजस्व भूमि में बने हुए है, उन सभी की नाम सहित सूची दिलवाई जावे तथा खसरा संख्या 812/412 बिलानाम राजस्व भूमि में अजारी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में एवं वर्तमान में किन–किन लोगों को पट्टा जारी किया हुआ है, उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	